[45] उच्च शिक्षा अनुभाग-2 संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002

प्रेषक,

आर० रमणी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोलने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य निर्धारण, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानकों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्रारम्भ में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन/सीटों की वृद्धि किये जाने आदि के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था में संशोधन करते हुए नये मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है। मानक निम्नवत हैं—

1. सामान्य प्रक्रिया

रजिस्ट्रार सोसाइटीज अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कोई संस्था या ट्रस्ट जिसके संविधान के पंजीकृत बायलाज में शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन प्रबन्धन स्पष्टतः अंकित हों, प्रदेश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्ष/शिक्षा-शिक्षण के महाविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे विश्वविद्यालय, जिसे उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 एवं धारा 38 के अन्तर्गत सहयुक्तता/सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार हो, के माध्यम से शासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव कर सकती है। आवेदन समिति/ट्रस्ट महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करने से पूर्व महाविद्यालय स्थापित करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानकों का सम्यक रूप से अध्ययन कर लेवें तथा स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि जिस क्षेत्र में नये महाविद्यालय की स्थापना/पूर्व में संचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्ताव किया जा रहा है, वहाँ मानकों के अनुसार महाविद्यालय स्थापित करने का समुचित औचित्य बनता है अथवा नहीं? आवेदक संस्था यह भी देख ले कि मानकानुसार वे सभी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने में सर्वथा सक्षम है अथवा नहीं ?

आवेदक संस्था द्वारा नये महाविद्यालय खोलने अथवा वर्तमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु शासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु आवेदन सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन सम्बन्धित क्षेत्र के विश्वविद्यालय

द्वारा निर्धारित प्ररूप पर कुलसचिव के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्ररूप पर नये महाविद्यालय की स्थापना/वर्तमान में संचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार औचित्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय आवेदक संस्था के प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगा। शासन द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा आवेदक संस्था को शासन द्वारा निर्वाधन/अनापत्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्णय से अवगत कराया जायेगा। शासन की अनापत्ति/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त होने की दशा में आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा करने तथा उसे विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम प्लेज्ड कराने से पूर्व निम्नलिखित को सुनिश्चित कर लिया जाय—

1. प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम मानकानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित करायी जाय।
2. महाविद्यालय के नाम अंकित भूमि पर मानकानुसार भवन/अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण पूर्ण करा लिया जाय।
3. शैक्षिक अवस्थापना सुविधाओं यथा पुस्तकों, प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों/संयंत्रों/फर्नीचर आदि मानकानुसार क्रय करने हेतु पर्याप्त धनराशि संस्था के बैंक खातों में उपलब्ध हो तथा वे आगामी वर्षों में संस्था महाविद्यालय में शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु आवर्तक व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध कराने में समर्थ हों।

उपर्युक्त सुनिश्चित कर लेने के उपरान्त संस्था सावधि जमा राशि के प्रमाण-पत्र में प्रस्तावित संकाय/नवीन पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए प्राभूत की धनराशि कुलसचिव के नाम प्लेज्ड करायेंगे तथा निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर सभी प्रविष्टियां अंकित करेंगे। आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय/संस्थान के लिए प्रस्तावित भवन का चारों दिशाओं से लिया गया बड़े साइज़ का फोटो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त प्ररूप के साथ महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा रुपये पचास मूल्य के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उन्होंने आवेदन-पत्र में जो भी विवरण/प्रविष्टियां अंकित की हैं, वे तथ्यों पर आधारित हैं और सही हैं। आवेदन-पत्र में कोई भी तथ्य न तो उनके द्वारा छिपाया गया है और न ही असत्य घोषित किया है। यदि उनके द्वारा की गयी घोषणा में कोई भी तथ्य गलत, असत्य या छिपाया हुआ पाया जाय तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

विश्वविद्यालय में निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा होने के उपरान्त विश्वविद्यालय प्रस्तावित नये महाविद्यालय/वर्तमान महाविद्यालय में प्रस्तावित नये पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण मण्डल गठित करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—

1. विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि, जो आचार्य/स्नातकोत्तर प्राचार्य स्तर का हो,
2. प्रत्येक सम्बन्धित विषय का एक विषय विशेषज्ञ जो न्यूनतम उपाचार्य स्तर का हो, किन्तु कृषि संकाय के विषयों हेतु विशेषज्ञ प्रदेश में अवस्थित कृषि विश्वविद्यालयों से नामित किए जाएं,
3. सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,

निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अथवा विषय विशेषज्ञ के रूप में पृथक-पृथक महाविद्यालयों के निरीक्षण मण्डल में भिन्न-भिन्न व्यक्ति नामित हों।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित उक्त निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्य एक साथ किसी एक निर्धारित तिथि को महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा महाविद्यालयों के लिए शासन द्वारा निर्धारित/राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकानुसार सभी अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध होने अथवा नहीं होने, जैसी भी स्थिति पर स्थिति हो, का तथ्यात्मक उल्लेख अपनी निरीक्षण आख्या में अंकित करते हुए अपनी आख्या/संस्तुति विश्वविद्यालय को निर्धारित सम्यावधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण के दौरान निरीक्षक मण्डल प्रसतावित महाविद्यालय भवन के साथ अपनी फोटो भी खिचाएंगे जिसे निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित कुलाधिपति एवं शासन को अग्रसारित की जायेगी। शासन उक्त आख्या/संस्तुति का पूर्ण रूप से परीक्षण कर प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित करेगा महामहिम कुलाधिपति द्वारा अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा एवं शिक्षणेत्तर क्रिया कलाप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित कराये जायेंगे।

2. **औचित्य निर्धारण**

(अ) जिस स्थान पर नया महाविद्यालय/संस्थान स्थापित करना प्रस्तावित है वहां औचित्य निर्धारण हेतु यह देखना आवश्यक होगा—

1. जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी० की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?
2. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?
3. उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थिति महाविद्यालयों में क्या-क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?
4. उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?
5. क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम अर्हता युक्त पर्याप्त छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
6. क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर विना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर ६० छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र मानक योग्यतानुसार उपलब्ध हो सकेंगे?
7. संस्था/समिति/ट्रस्ट का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य है अथवा नहीं?
8. प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित न हो। महाविद्यालय का नाम जीवित व्यक्ति के नाम पर न हों अथवा जाति विशेष के नाम न हो।
9. भूमि मानकानुसार संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंक्रित हो अथवा कम से कम 30 वर्ष के लिए लीज़ पर हों तथा लीज़ डीड पंजीकृत हो।
10. क्या महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है?

(ब) इसी प्रकार पूर्व से संचालित महाविद्यालय/संस्थान में नये पाठ्यक्रमों में अमापत्ति/निर्बाधन देने हेतु औचित्य निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होगा:-

1. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या क्या है?
2. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर स्वीकृत पाठ्यक्रमों में विगत तीन वर्ष का विषयवार परीक्षाफल क्या था?
3. क्या पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त हैं? नियुक्त शिक्षकों में से कितने तथा किस-किस विषय के शिक्षक आयोग से नियुक्त/विनियमितीकृत हैं अथवा वर्तमान में संचालित किन-किन पाठ्यक्रम में कितने शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
4. महाविद्यालय के पास खेलकूद आदि प्रतिस्पर्धाओं के लिए पर्याप्त क्रीड़ा सामग्री तथा भूमि उपलब्ध है।

3. **प्राभूत की राशि**

क्र० सं०	संकाय/विषय	बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि
1.	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों	रू० 2.00 लाख	रू० 1.50 लाख
2.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू० 50,000/-	रू० 20,000/-
3.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु	रू० 50,000/-	रू० 20,000/-
4.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच परम्परागत विषयों हेतु	रू० 3.00 लाख	रू० 2.50 लाख
5.	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर बी०एस०सी० (कम्प्यूटर साइंस), बी०एस०सी० (इनफारमेशन टेक्नोलॉजी) आदि नवीन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत	रू० 3.00 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त	रू० 2.50 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त
6.	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू० 55,000/-	रू० 25,000/-
7.	स्नातकोत्तर स्तर के कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु	रू० 75,000/-	रू० 30,000/-
8.	स्नातकोत्तर स्तर पर एम०काम० अथवा प्रत्येक प्रयोगात्मक विषयों हेतु	रू० 2.00 लाख	रू० 50,000/-

9.	एल०एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू० 4.00 लाख	रू० 3.00 लाख
10.	एल०एल०बी० (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू० 6.00 लाख	रू० 4.00 लाख
11.	बी०बी०ए०/बी०सी०ए० पाठ्यक्रम हेतु	रू० 3.00 लाख	रू० 1.50 लाख
12.	एम०सी०ए० पाठ्यक्रमों हेतु	रू० 5.00 लाख	रू० 5.00 लाख
13.	एम०बी०ए० पाठ्यक्रमों हेतु	रू० 3.00 लाख	रू० 3.00 लाख

4. भूमि का मानक

1.1 नये महाविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि का मानक निम्नवत होगा—

(क) नगर निगम क्षेत्र — 5000 वर्ग मीटर

(ख) नगर पालिका क्षेत्र — 7000 वर्ग मीटर

(ग) अन्य क्षेत्र — 20000 वर्ग मीटर

किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।

1.2 विधि महाविद्यालयों (लॉ कालेज) हेतु भूमि का मानक—

(क) तीन वर्षीय एल०एल०बी० पाठ्यक्रम के लिए संस्था/प्रबन्धतंत्र के पास कम से कम 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि अपेक्षित है।

(ख) पांच वर्षीय एल०एल०बी० पाठ्यक्रम के लिए 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए।

यदि लॉ कालेज में दोनों पाठ्यक्रम, लॉ तीन वर्षीय तथा लॉ पांच वर्षीय संचालित हों तो उस स्थिति में महाविद्यालय में कम से कम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए।

1.3 कृषि महाविद्यालय के लिए उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भूमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिए उपलब्ध होना अनिवार्य है।

1.4 ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार अतिरिक्त भूमि को होना अनिवार्य है।

5. भवन का मानक

प्रत्येक महाविद्यालय के पास आवश्यकतानुसार अपना निजी भवन होना अनिवार्य है जिसमें केवल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में ही शिक्षण प्रदान किया जायेगा। कला/विज्ञान संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों तक के लिए न्यूनतम छः व्याख्यान कक्ष तथा पुस्तकालय-वाचनालय, अध्यापक कक्ष, छात्र/छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष होना आवश्यक है। प्रत्येक कक्ष के लिए आवश्यकतानुसार फर्नीचर का होना आवश्यक होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोगात्मक विषय के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया गया हो तो उसके लिए एक पृथक प्रयोगशाला कक्ष होना अनिवार्य है। इसी भांति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन के लिए एक अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष का होना आवश्यक है एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक प्रयोगशालाएं निर्मित होने की अनिवार्यता होगी। नये महाविद्यालय के लिए प्रारम्भ में भूमि और भवन की न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक निम्नवत् होगा—

Manager

(1)	व्याख्यान कक्ष— प्रत्येक कक्ष	85 वर्ग मीटर से 90 वर्ग मीटर
(2)	प्रत्येक प्रायोगिक विषय हेतु प्रयोगशाला कक्ष	80 वर्ग मीटर
(3)	पुस्तकालय-वाचनालयाध्यक्ष	80 वर्ग मीटर
(4)	एक अध्यापक कक्ष	20 वर्ग मीटर
(5)	एक छात्रा कक्ष	20 वर्ग मीटर
(6)	प्रशासनिक कक्ष जिसमें प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष तथा लेखा कक्ष	80 वर्ग मीटर
(7)	बरामदा	100 वर्ग मीटर
(8)	शौचालय (छात्र/छात्रा हेतु पृथक) दो प्रत्येक 4 वर्ग मीटर	8 वर्ग मीटर
		योग = 828 वर्ग मीटर

6. **पुस्तकालय का मानक**

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक विषय के लिए पुस्तकें तथा पत्रिकाओं पर न्यूनतम आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत् होगा—

स्नातक स्तर

क्र० सं०	विषय/मद	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यक (प्रति वर्ष)
1.	पुस्तकालय फर्नीचर, कार्ड स्टेशनरी रख-रखाव आदि (500 छात्र संख्या तक)	50,000/-	5,000/-
2.	रसायन, भौतिक, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा आई०टी० पाठ्यक्रम प्रति विषय हेतु पुस्तकों पर व्यय	20,000/-	3,000/-
3.	सांख्यिकी, भूगर्भ, गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रति विषय पुस्तकों पर व्यय	15,000/-	2,000/-
4.	कला संकाय के शेष प्रति विषय	10,000/-	2,000/-
5.	वाणिज्य कुल	50,000/-	5,000/-
6.	विधि संकाय	50,000/-	5,000/-
7.	कृषि कुल	75,000/-	7,000/-
8.	शिक्षा प्रशिक्षण	25,000/-	4,000/-
9.	पुस्तकालय में शब्द कोष व विविध पुस्तकों व शोध, पत्रिकाओं हेतु (500 छात्र संख्या तक)	10,000/-	5,000/-

स्नातकोत्तर स्तर

क्र० सं०	विषय/मद	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यक (प्रति वर्ष)
1.	विज्ञान तथा कृषि का प्रत्येक विषय	76,000/-	5,000/-
2.	भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रत्येक विषय	45,000/-	5,000/-

3.	कला संकाय के शेष प्रति विषय	35,000/-	4,000/-
4.	वाणिज्य, विधि प्रत्येक	50,000/-	7,000/-
5.	शिक्षा प्रशिक्षण	35,000/-	5,000/-

नोट— यदि छात्र संख्या से अधिक बढ़ जाती है तो आवर्तक व्यय उसी अनुपात में बढ़ जायेगा।

ए०आई०सी०टी०ई०/-एन०सी०टी०ई०/बार काउन्सिल आफ इण्डिया की परिधि में आने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित मानक प्रभावी होंगे।

7. **प्रयोगशाला के मानक**

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक प्रयोगत्मक कार्य वाले विषय की प्रयोगशाला हेतु अपेक्षित आवर्तक/अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत् होगा—

स्नातक स्तर

क्र० सं०	विषय	प्रथम वर्ष में फर्नीचर पर व्यय	प्रथम वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय (रू०)	आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष (60 से 75 छात्र स्नातक तक भाग-1 में) रू०	आवर्तक व्यय में वृद्धि प्रति 20 छात्र पर (रू०)
1.	ड्राइंग पेंटिंग	10,000/-	12,000/-	2,000/-	500/-
2.	संगीत	2,000/-	15,000/-	2,000	500/-
3.	भूगोल, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान में प्रति विषय	15,000/-	20,000/-	2,500/-	500/-
4.	भौतिक, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान प्रति विषय	30,000/-	75,000/-	10,000/-	1,000/-
5.	रसायन विज्ञान (गैस व डिस्टिल्ड वाटर सहित)	40,000/-	1.5 लाख	15,000/-	1,500/-
6.	कम्प्यूटर विज्ञान, बी०सी०ए० आदि	40,000/-	5.0 लाख	25,000/-	10,000/-
7.	भूगर्भ विज्ञान	30,000/-	40,000/-	5,000/-	500/-
8.	कृषि एग्रोनामी, सांख्यिकी, कृषि प्रसार, कृषि तकनीकी, कृषि दुग्ध विज्ञान प्रति विषय	8,000	2.0 लाख	1,000/-	500/-
9.	कृषि पादप रोग, विज्ञान, जेनेटिक्स उद्यान तथा कृषि रसायन प्रति विषय	15,000/-	15,000/-	2,000/-	500/-
10.	म्यूजियम प्रति विषय जहाँ अनिवार्य है	8,000/-	20,000/-	5,000/-	500/-

Manager

11.	अन्य प्रति अतिरिक्त कृषि विषय	7,000/-	10,000/-	2,000/-	500/-
12.	शिक्षा प्रशिक्षण (पूरे संकाय हेतु)	15,000/-	7,000/-	2,000/-	500/-

स्नातकोत्तर स्तर

क्र० सं०	विषय	प्रथम वर्ष फर्नीचर पर व्यय (रू०)	प्रथम वर्ष में उपकरण/चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय (रू०)	आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष 20 छात्र रू०	प्रति अतिरिक्त छात्र रू०
1.	विज्ञान तथा कृषि प्रत्येक विषय एक ब्रांच के साथ	50,000/-	2.00 लाख	25,000/-	3,000/-
2.	कला/शिक्षा संकाय के प्रत्येक विषय	8,000/-	25,000/-	4,000/-	500/-

8. **स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम स्वीकृत करने का मानक**

स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम केवल उन्हीं महाविद्यालयों में स्वीकृत किये जायें जहाँ—

(1) महाविद्यालय को स्नातक स्तर के विषयों में सम्बद्धता प्राप्त हुए तीन वर्ष बीत चुके हों। तीनों वर्षों तक उसकी व्यवस्था, प्रबन्धन तथा शिक्षण स्तर उत्तम रहा हो।

(2) महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2 (एफ) में पंजीकृत हो चुका हो।

(3) विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल अविच्छिन्न रूप से उत्तम रहा हो तथा 60 प्रतिशत से कम न हो। महाविद्यालय में परीक्षा कार्य का संचालन विश्वविद्यालय के नियमानुसार होता रहा हो।

(4) महाविद्यालय की छात्र संख्या महिला महाविद्यालय की दशा में 300 से अधिक हो एवं सह शिक्षा युक्त महाविद्यालय की दशा में यह संख्या 500 हो चुकी हो।

(5) महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं में क्रमशः पुस्तकें, उपकरण आदि पूर्ववर्ती वर्षों में मानकानुसार क्रय किये गये हों।

(6) महाविद्यालय में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त किये गये हों एवं प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो अथवा शिक्षक उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं कार्यरत हो।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित महाविद्यालय के 15 किलोमीटर की परिधि के अन्दर किसी अन्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम नहीं हो।

(8) उक्त मानक पूर्ण होने पर ही स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम में एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम दो नवीन पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जा सकेगी।

9. स्नातक/सनातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन सीटों की वृद्धि हेतु मानक

(1) पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हों।

(2) संबंधित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय कम से कम एक बैच पास-आउट हो चुका हो तथा परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम न रहा हो।

(3) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मांग/आवश्यकता का आधारभूत आंकड़ों के अनुसार औचित्य हो।

(4) सम्बन्धित विषय में नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शासन द्वारा निर्धारित अर्हता धारक करते हों तथा उनकी नियुक्ति पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

10. सम्बद्धता विस्तारण हेतु मानक

(1) महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित अवस्थापना सम्बन्धी मानक तथा पूर्व में निर्गत सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश में उल्लिखित शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं।

(2) शिक्षकों की नियुक्ति यू०जी०सी०/शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप की गयी हो।

(3) विगत वर्षों (अधिकतम तीन वर्ष) का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम न रहा हो।

(4) संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य हो।

(5) महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा हो।

(6) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अवधि में सामूहिक नकल का आरोप न हो।

(7) सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की संस्तुति सहित सम्बद्धता समाप्त होने की अवधि से तीन माह पूर्व शासन तथा महामहिम कुलाधिपति कार्यालय को प्राप्त होना चाहिए।

11. स्थायी सम्बद्धता हेतु मानक

(1) महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित समस्त अवस्थापना एवं शैक्षिक मानकों की पूर्ति कर लेने का समुचित प्रमाण हो।

(2) विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से न्यून न रहा हो।

(3) निर्धारित योग्यता धारक प्राचार्य तथा समस्त शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रियानुसार कर दी गयी हो तथा यथावश्यक नियुक्ति पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(4) अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा हो।

(5) स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के माध्यम से निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति सहित अस्थायी सम्बद्धता समाप्त होने की अवधि के तीन माह पूर्व शासन/कुलाधिपति को प्राप्त हो जाये।

(6) संस्था का पंजीकरा अद्यावधिक विधिमान्य हो।

(7) प्रबन्धतंत्र में किसी प्रकार का विवाद न हो तथा प्रबन्धतंत्र के विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने का प्रमाण हो।

(8) सामूहिक नकल का कोई आरोप न हो।

12. प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन-विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

13. शुल्क का निर्धारण

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु समय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त/सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों से लिया जायेगा।

14. सम्बद्धता हेतु समय सारणी

सम्बद्धता के सम्बन्ध में शासन एवं महामहिम कुलाधिपति कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य प्रक्रिया प्राभूत की राशि भूमि, भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु मानकों तथा पूर्व से संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन/सीटों में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

निर्बाधन (क्लीयरेंस)/अनापत्ति (एन०ओ०सी०) तथा सम्बद्धता हेतु आवेदन करने के लिए दो अलग-अलग प्रपत्र संलग्न हैं।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,
(आर० रमणी)
प्रमुख सचिव

शासनादेश संख्या : 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 का संलग्नक-1

निर्बाधन (क्लीयरेन्स)/अनापत्ति (एन०ओ०सी०) हेतु आवेदन का प्ररूप

1. संस्थान/महाविद्यालय का नाम
2. संचालन सोसायटी/ट्रस्ट का नाम
3. सोसायटी/ट्रस्ट के पंजीकरण/नवीनीकरण की स्थिति सप्रमाण
4. पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए निर्बाधन/अनापत्ति वांछित है।
5. महाविद्यालय/संस्थान पुराना है तो चल रहे समस्त सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों का विवरण।
6. जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी० की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?
7. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?
8. उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या-क्या पाठ्यक्रम संचालित है?
9. उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?

10. क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम 100 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
11. क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
12. महाविद्यालय/संस्थान के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित तो नहीं है तथा महाविद्यालय/संस्थान का नाम जीवित व्यक्ति या जाति विशेष के नाम पर तो नहीं है:-
13. महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट के आय के स्रोत, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अर्जित वार्षिक आय का सप्रमाण विवरण।
14. यदि महाविद्यालय पूर्व में संचालित है तो स्नातक/परास्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठ्यक्रमों में कब से शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या।
15. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विगत तीन वर्षों का परीक्षण का विवरण।
16. पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्त शिक्षकों का अर्हता सहित प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति की प्रकृति (उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित, विनियमित अथवा कुलपति का अनुमोदन प्राप्त) का विवरण:-
17. महाविद्यालय, संस्थान/सोसायटी या ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि का विवरण (क्षेत्र के किसी राजस्व अधिकारी से सत्यापित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ)।
18. प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध भवन का स्पष्ट विवरण (भवन का छाया चित्र एवं नक्शा सहित)।
19. यदि परास्नातक पाठ्यक्रम क लिए निर्बाधन/अनापत्ति वांछित है तो उसे संबंधित स्नातक स्तरीय विषय की मान्यता की अवधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा-2 एफ में पंजीकरण का प्रमाण सहित विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने का सप्रमाण विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय से निकटवर्ती महाविद्यालय/महाविद्यलयों का नाम जहाँ उक्त पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हों तथा उनकी दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

विश्वविद्यालय द्वारा नामित दो सदस्यीय निरीक्षण मण्डल की तथ्यात्मक आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति।

निरीक्षक मण्डल के हस्ताक्षर, नाम एवं पद नाम सहित।

शासनादेश संख्या : 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 का संलग्नक-2

अस्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन का प्ररूप

1. संस्थान/महाविद्यालय का नाम
2. संचालक सोसायटी/ट्रस्ट का नाम
3. सोसायटी/ट्रस्ट के पंजीकरण/नवीनीकरण की स्थिति सप्रमाण।

...ji Singh ... Degree College

4. पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए अस्थायी सम्बद्धता वांछित है।
5. जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी० की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?
6. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?
7. उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या-क्या पाठ्यक्रम संचालित है?
8. उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालय को देखते हुए किसी सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?
9. क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम 100 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
10. क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र उपलबध हो सकेंगे?
11. महाविद्यालय/संस्थान के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित तो नहीं है तथा महाविद्यालय/संस्थान का नाम जीवित व्यक्ति या जाति विशेष के नाम पर तो नहीं है—
12. यदि महाविद्यालय पूर्व में संचालित है तो स्नातक/परास्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठ्यक्रमों में कब से शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या।
13. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विगत तीन वर्षो का परीक्षाफल का विवरण।
14. यदि परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए निर्बाधन/अनापत्ति वांछित है तो उससे संबंधित स्नातक स्तरीय विषय की मान्यता की अवधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा-2 एफ में पंजीकरण का प्रमाण सहित विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने का सप्रमाण विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय से निकटवर्ती महाविद्यालय/महाविद्यालयों का नाम जहाँ उक्त पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हों तथा उनकी दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

15. प्राभूत

मानका अनुसार निर्धारित प्राभूत जमा किये जाने एवं कुल सचिव के पक्ष में बंधक किये जाने की सप्रमाण स्थिति।

16. भूमि

(i) संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर या वर्ग मीटर में।

(ii) उक्त भूमि का विवरण

(क) जनपद

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) गाटा संख्या जिसके अन्तर्गत भूमि/भूमि का भाग संस्था/महाविद्यालय के नाम अंकित हैं:

(ङ) यदि भूमि किसी प्राधिकरण से लीज पर ली गयी हो तो लीज डीड में उपलब्ध भूमि के संबंध में उपर्युक्तानुसार वर्णन।

17. भवन

(i) वर्तमान में निर्मित भवन की स्थिति
  (क) जनपद
  (ख) तहसील
  (ग) ग्राम
  (घ) गाटा संख्या जिसमें भवन निर्मित है।

(ii) भवन का कुल क्षेत्रफल

(iii) निर्मित भवन में प्रत्येक कक्षों का माप सहित विवरण

(iv) भवन में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
  (क) विद्युत आपूर्ति
  (ख) पेयजल
  (ग) टेलीफोन
  (घ) प्रशाधन

18. फर्नीचर का विवरण

(i) शिक्षण कक्षों हेतु उपलब्ध फर्नीचर का विवरण

(ii) प्रशासनिक कक्षों में फर्नीचर का विवरण

(iii) पुस्तकालय कक्ष में फर्नीचर का विवरण

(iv) प्रयोगशाला कक्ष में फर्नीचर का विवरण

(v) क्या उक्त फर्नीचर संस्था/महाविद्यालय के स्टाक रजिस्टर में मूल्य सहित अंकित है अथवा नहीं

19. पुस्तकालय

(i) पुस्तकालय हेतु क्रय की गयी पुस्तकों की विषयवार संख्या एवं क्रय मूल्य के प्रमाणिक अभिलेख।

(ii) प्रार्थित विषयों हेतु उपलब्ध पुस्तकें।

(iii) पूर्ववर्ती वर्षों में उक्त में से कितनी पुस्तकें क्रय की गयी।

(iv) वर्तमान वर्ष में क्रय की गई पुस्तकों का विवरण मूल्य सहित।

20. प्रयोगशाला

(i) संबंधिक पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार क्रय किये गये उपकरणों का मूल्य सहित विवरण।

(ii) क्या क्रय किये गये उपकरण प्रायोगिक विषय के संचालन हेतु पर्याप्त हैं।

(iii) प्रयोगशाला में उपलब्ध रसायन/चार्टस आदि का विवरण एवं क्रय मूल्य।

(iv) स्टाक रजिस्टर में क्या उक्त विवरण अंकित है या नहीं?

21. प्रबंध समिति

(i) प्रबन्ध समिति के गठन एवं विश्वविद्यालय से उसके अनुमोदन की स्थिति।

(ii) सोसाइटी/ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम

22. शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों हेतु उपलब्ध आवश्यक सुविधायें
   (i) क्रीड़ा स्थल क्षेत्रफल सहित
   (ii) क्रीड़ा सामग्री का विवरण
   (iii) छात्रावास, यदि व्यवस्था हो तो उसका विवरण एवं विद्यार्थियों की क्षमता

23. शिक्षण व्यवस्था
   (i) निदेशक/प्राचार्य का नाम, योग्यता व वेतनमान
   (ii) संचालित पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षकों का शैक्षणिक अर्हता विवरण एवं नियुक्ति का प्रकार (नियमित स्थायी नियुक्ति/संविदा पर नियुक्त)
   (iii) नियुक्त शिक्षकों में से कितने शिक्षक आयोग से चयनित हैं तथा कितने शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त है।
   (iv) यदि किसी पाठ्यक्रम में शिक्षण हेतु नियुक्ति वर्तमान में नहीं की गयी है, तो भावी योजना क्या है:—
   (v) वर्तमान में शिक्षकों के वेतनादि मद में व्यय की गयी मासिक धनराशि का विवरण।
   (vi) शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या:
      (क) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या
      (घ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या

24. महाविद्यालय को संचालित कर रही संस्था की आर्थिक स्थिति
   (i) संस्था की आय के स्रोतों का विवरण
   (i) प्रत्येक स्रोत से होने वाली आय का वार्षिक विवरण
   (iii) वर्तमान में संस्था के नाम बैंक खातों में जमा धनराशि का विवरण
   (iv) महाविद्यालय के विभिन्न खातों में जमा धनराशि का विवरण

25. प्रमाण-पत्र

रू० 50.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ-प्रमाण को संस्था/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव तथा प्रबन्ध समिति के एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा नोटरी द्वारा सत्यापित हो।

प्रमाण-पत्र का प्ररूप

'हम .....अध्यक्ष/सचिव प्रबन्ध समिति..... सदस्य प्रबन्ध समिति .....(संस्था/महाविद्यालय का नाम) शपथ पूर्वक घोषण करते हैं कि हमने आवेदन पत्र में जो भी विवरण/प्रविष्टियां अंकित की है, वे तथ्यों पर आधारित हैं और सही हैं। अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र में हमारे द्वारा न तो कोई तथ्य छिपाया गया है एवं न ही असत्य घोषित किया गया हैं।

यदि हमारे द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र में अंकित किया गया कोई तथ्य गलत, असत्य या छिपाया गया पाया जाय तो हमारे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

1. हस्ताक्षर
   नाम तथा पूरा पता
2. हस्ताक्षर
   नाम तथा पूरा पता